BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 सितम्बर, 2024 **थाना सिकन्द्राबाद**

साबिर की अपहरण कर हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक मोबाईल फोन बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2024 को वादी निसार पुत्र इसाक खाँ निवासी ग्राम मेहदीपुर बागर थाना रबुपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सिकन्द्रबाद पर सूचना दी कि उसका छोटा भाई जो समीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी मौ0 झारखण्डी कायस्थवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के यहाँ नौकरी करता था उन्ही के यहाँ रहता था जिनके द्वारा फोन कर के बताया गया कि साबिर दिनांक 17.08.2024 से काम पर नही आया है। इस सम्बन्ध में वादी ने अपने भाई को उसके दोस्त शोकिन व 02 अन्य पर हत्या करने के आशय से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए थाना सिकन्द्राबाद पर तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअस 690/24 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त के क्रम में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा दो अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो की निशांदेही पर मृतक के मोबाइलो को झाझंर के जंगल से बरामद किया गया। अभियुक्तो की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तो को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- शोकीन पुत्र इन्शाद अली निवासी मौ0 ठाकुरान कस्बा व थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

2- शादिक पुत्र शकील निवासी कुईर्या वाला मौ0 ठाकुरान कस्बा व थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 सैमसंग मोबाईल

घटना का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वे दोनो मृतक साबिर को दिनांक 17.08.2024 को सिकन्द्राबाद से हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करके झाझंर ले गये थे जिसके बाद दिनांक 19.08.2024 को वे साबिर को ग्राम नीमका थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर के जंगल में ले गये तथा वहां उसे डरा-धमकाकर बिजली के पोल पर चढा दिया जहां पर उसकी बिजली का करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गयी जिसके बाद उसके शव को गोबिला नहर में फैंक दिया तथा उसके मोबाइल को छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त शौकीन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 690/24 धारा 140(1) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 549/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 375/23 धारा 411/414 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
4. मुअसं- 373/23 धारा 379/411 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
5. मुअसं- 554/21 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना बाबूगढ जनपद हापुड़।
6. मुअसं- 167/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 166/22 धारा 8/21 एनडीपीएस अधि0 थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री रविरतन प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. उ0नि0 राकेश सिंह
3. है0का0 अनुज, है0का0 गजेन्द्र सिंह, का0 मोहन शर्मा, का0 ललित कुमार

मीडिया सेल बुलंदशहर